


की तारीख

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हु

29.11.22

दोनों पक्षों के श्राद्धिकता अनुपस्थित /
 व्यापारिक काल की समाप्ति तक पुष्पक
 रूप में वकील मय वादी को तब
 धार आवाजे दिखवाई गई। लेकिन वकील
 मय वादी में से कोई उपस्थित नहीं
 हुआ है। ऐसी स्थिति में वाद को
 आगे चलाने का श्राद्धिक उचित नहीं
 होता है। निहाय वादी का वाद
 अदालत चली व अदालत हाजिरी में
 श्राद्धिक दिमा जाता है।
 पत्रावली करण सुधार हेतु
 कार्रवाई करवाए हों।


 सहायक कमिश्नर
 (S.D.O.) बालोतरा

